भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KANPUR
सम्पदा कार्यालय
ESTATE OFFICE

कक्ष संख्या : 101 डी (संकाय भवन)
पो0 आई0आई0टी0 कानपुर - 208016 (भारत)
दूरभाष - (0512) 2597166, 7327

Room No. 101 D (Faculty Building)
Post Office IIT Kanpur-208016 (INDIA)
Telephone- (0512) 2597166, 7327

दिनॉक – 27.05.2013

सूचना

1. सी.ई.एम.एम.सी चेयरमैन के साथ हुए विचार-विमर्श के परिप्रेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि टैक्सी की बुकिंग होने के उपरान्त बुकिंग के कान्फर्मेशन की सूचना SMS के द्वारा निम्नलिखित जानकारी के साथ उपभोक्ता को तत्काल भेजें :-

(a) प्रस्थान/पिकअप करने की तारीख, समय तथा स्थान

(b) बुक होने वाले वाहन का प्रकार/मॉडल

(c) ड्राइवर का नाम एवं उसका मोबाइल नंबर तथा वाहन की पंजीकरण संख्या। बुकिंग के समय ड्राइवर का नाम एवं उसका मोबाइल नंबर तथा वाहन की पंजीकरण संख्या उपलब्ध नहीं होने पर यह जानकारी निर्धारित समय से कम से कम दो घंटा पूर्व उपभोक्ता को उपलब्ध कराना होगा । किन्तु (a) और (b) में मांगी गई जानकारी को टैक्सी बुक होने के तत्काल बाद उपलब्ध कराना होगा।

2. प्रायः यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि ड्राइवर के साथ उपभोक्ता पर्ची (स्लिप) नहीं भेजी जा रही है। परिसर में वाहन संचालन के नियम और शर्तों के तहत सभी वाहन मालिकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे ड्राइवर के साथ उपभोक्ता पर्ची (स्लिप) अवश्य भेजें।

3. हमें यह भी शिकायत प्राप्त हो रही है कि अभी भी कई ड्राइवर रेलवे स्टेशन तथा एयरपोर्ट भ्रमण (ट्रिप) के दौरान यात्री से पार्किंग तथा टोल शुल्कः के लिए पैसे माँगते हैं। परिसर में वाहन संचालन के नियमों और शर्तों के अनुसार कोई भी ड्राइवर, यात्री से यह कह कर पार्किंग तथा टोल के लिए पैसे नहीं मांग सकता कि उनके मालिक ने पार्किंग तथा टोल शुल्कः के लिए उन्हें पैसे नहीं दिये हैं अथवा हम पार्किंग तथा टोल के लिए लिए हमेशा यात्री से ही पैसे लेते हैं।

अतः आपको सलाह दी जाती है कि ऊपर दिये गये नियमों तथा शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। नियमों और शर्तों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता बरतने पर सी.ई.एम.एम.सी द्वारा टैक्सी मालिकों पर आर्थिक दण्ड लगाने के साथ साथ उनका पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है जिसके फलस्वरूप टैक्सी संचालक की समस्त टैक्सियाँ परिसर में संचालन के लिए स्वतः प्रतिबंधित मानी जाएगी ।

(अजय जैन)
चेयरमैन
सी.ई.एम.एम.सी

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. उपनिदेशक
2. कार्यकारी कुलसचिव
3. प्रभारी, सम्पदा कार्यालय
4. सुरक्षाधिकारी